न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस..

राजस्व आवेदन संख्या – 213 / 2025

उनवान

प्रार्थीगण

1.वीरमा पुत्र मगा
2.जेती पत्नी वीरमा जाति जाट
निवासी पेमाणीयों का तला, खारा राठौडान, तहसील रामसर, जिला बाडमेर

विप्रार्थीगण

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र काछबा राम चौधरी
2. ईमरतीदेवी पत्नी काछबाराम
3. खेता पुत्र मगना
4. विगा पुत्र मोती
5 हरजीराम पुत्र तेजाराम
6. कांछबाराम पुत्र जुंजा
7. गेनाराम पुत्र पनाराम
8. दुर्गाराम पुत्र पनाराम
9. पुरखाराम पुत्र पनाराम
10. मोटाराम पुत्र पनाराम
11. राजाराम पुत्र पनाराम
12. पन्ना पुत्र मगा
13. रामाराम पुत्र गोमाराम
14. लुणाराम पुत्र गोमाराम
15. सोनाराम पुत्र गोमाराम
16. देवाराम पुत्र रूगाराम
17. धापु पत्नी रूगाराम जाति जाट, निवासी पेमाणीयों का तला ,खारा राठौडान तहसील रामसर जिला बाडमेर।
18. दिलीपकुमार पुत्र चेनाराम
19. हरीशकुमार पुत्र चेनाराम
20. पूनमाराम पुत्र बांकाराम
21. मोटाराम पुत्र बांकाराम
22. रामाराम पुत्र बांकाराम
23. कसूम्बी पत्नी बांकाराम जाति जाट निवासी गंगाला, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर
24. पेम्पोंदेवी पुत्री नारणाराम
25. भूरा पुत्र नारायणराम
26 मधी पत्नी नारायणराम
27. ओमा पुत्र नारायणराम
28. चनणीदेवी पुत्री नारणाराम
29. भींयाराम पुत्र उगराराम
30. उगरा पु मगना
31. कालुराम पुत्र जुंजा
32. देवाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी शेरा नगर, खडीन तहसील रामसर जिला बाडमेर।
33. श्रीमान तहसीलदार रामसर जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी खेत खसरा नम्बर 584 / 198 रकबा 4.7915 हैक्टे[illegible]बा. सोयम, मौजा–पेमाणियों का तला, पटवार हल्का–हांथमा, भु–अभिलेख [illegible] तहसील–रामसर, जिला–बाड़मेर।

उपस्थित :– 1. श्री कंवराज बैनिवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता विप्र[illegible] संख्या 13 से 17 की ओर[illegible]

3. राज पैरोकार।

17.12-2025
उपखण्ड अधिकारी रामसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 17.12.202

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय में दिनांक **09.07.2025** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा **पेमाणीयों का तला, पटवार मण्डल हाथमा, भूअनि सियाणी, तहसील रामसर में अवस्थित खेत खसरा संख्या 584/198** रकबा 4.7915 **हैक्टेयर** उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित हैं।, उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थीगण अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित हैं कि विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। विप्राथीगण को नोटिस रजिस्टर्ड जारी होने के बावजूद भी विप्रार्थी संख्या 1 से 12 व 18 से 32 उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष विप्रार्थी संख्या 13 से 17 का जवाब प्राप्त। उभयपक्ष अधिवक्ता की पत्रावली में बहस सुनी गई लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य प्रतित होता हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्व विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा **पेमाणीयों** का तला, **पटवार मण्डल हाथमा, भूअनि सियाणी, तहसील रामसर में** अवस्थित खेत खसरा संख्या 584/198 रकबा 4.**7915 हैक्टेयर** भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000/— अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।.तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते है कि वे उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय का स्थगन एवं मौके पर फसल खड़ी होने की स्थिति मे नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरे के पक्के नेखम स्थापित करें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगें। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्व पालना की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

यह आदेश आज दिनांक **17.12.2025** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाड़मेर

17.12.2025

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:35 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक : रीडर/2025/ 1111–14 दिनांक : 17/12/25

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में निर्णयानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2. थानाधिकारी रामसर।
3. प्रार्थीगण वीरमा पुत्र मगा वगैराह जाति जाट निवासी पेमाणीयों का तला ,खारा राठौड़ान तहसील रामसर जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र काछबा राम चौधरी वगेराह।

Scanned with OKEN Scanner